बिहार सरकार

राज्य स्कीम

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09–10/2011– 30

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 15.06.17

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम मद से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016, अनु0 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007 तथा विभागीय योजनाओं के प्रावधानों की पुस्तिका का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, प्रचार–प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन हेतु ₹50,00,000/–(पचास लाख रू0) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

2– स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम मद में मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण– उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लधु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन–उप शीर्ष–0101–निदेशन और प्रशासन–मांग सं0–44–विषय शीर्ष–0101.26.01–विज्ञापन और प्रकाशन'' विपत्र कोड 44–2225010010101 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3– स्वीकृत राशि के आलोक मे मुख्यालय एवं जिलों से मांग के अनुसार आवंटन विमुक्त किया जाएगा।

4– राज्य योजना मद से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016, अनु0 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007 तथा विभागीय योजनाओं के पुस्तिका का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, प्रचार–प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, कार्यशाला का आयोजन तथा पोस्टर/पम्पलेट इत्यादि हेतु स्वीकृत राशि के लिए मुख्यालय स्तर पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपनिदेशक (मु0) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17–4–98 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे ।

5– इस योजना के तहत् वित्तीय नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाएगा।

6– जिला स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं मुख्यालय स्तर पर निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होगे।

7– इस राशि की स्वीकृति आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–1/पी0सी0आर0 (विविध/प्र0प्र0)09–10/2011–के पृ0–109/टि0पर प्राप्त है।

8– स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।

विश्वासभाजन

12.6.17

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09–10/2011–30 दिनांक– 15.06.17

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण /अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–1 डी0, 2 डी0, 3 डी0, 4 डी0, 5 डी0, 6 डी0/सांख्यिकी शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा(दोहरी प्रति में)/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.6.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09–10/2011–30 दिनांक– 15.06.17

प्रतिलिपि– सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.6.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09–10/2011–30 दिनांक–15.06.17

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेब साईट (Web site) पर जारी करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.6.17

सरकार के सचिव।